सं0644/V-श0वि0-06-36(सा0)/06

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांक-13जुलाई, 2006

विषय : नगर पंचायत मुनिकीरेती के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित कार्यो हेतु वर्ष-2006-07 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंधमें।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत मुनिकीरेती, जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो हेतु प्रस्तुत रू0-538.35 लाख की लागत के आगणन विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0-458.64 लाख (रूपये चार करोड़ अट्ठावन लाख चौसठ हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्थाओ को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2- अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा, किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदो में न किया जाय, इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3- उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यो पर संबधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

6– स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7– योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा। यदि भूमि की उपलब्धता एक माह के भीतर सुनिश्चित नही होती है और कब्जा प्राप्त नही होता है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नही किया जायेगा। वन भूमि पर पार्किंग के निर्माण हेतु तब ही धनराशि आहरित की जायेगी, जब वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो जाये।

8– यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

9– कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय,पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा। कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व व पूर्ण करने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ई०ओ० के माध्यम से निदेशक को कार्य के चित्र लेकर प्रेषित किया जायेगा।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किश्तों में आहरण किया जायेगा। शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्राप्त करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

11– सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेतर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तो में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

12– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।

13– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मध्यनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

14– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो०नि०वि० के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा। एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

15– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

16– जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण ईकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा। कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

17– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

18– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–62/XXVII(2)/2006, दिनांक–03 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0 654(1)/V-श0वि0–06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
8– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मुनिकीरेती (टिहरी गढवाल)
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एन0 के0 जोशी)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 644/v-श0वि0-06-36सा0)/06 दिनांक-13 जुलाई, 2006 का संलग्नक

क0सं0	कार्य का नाम	आगणनकी लागत(लाख रू0 में)	टी0ए0सी0से अनुमोदित (लाख रू0 में)
1	रामझूला रोड पर स्थित बहुगुणा पार्क/बडोनी पार्क का सौन्दर्यीकरण	2.82	2.61
2	रामझूला के पास दीनदयाल पार्क का विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	6.99	6.06
3	खारा स्रोत के पास स्थित सुमन पार्क का सौन्दर्यीकरण	0.93	0.56
4	मुनिकीरेती में बस पार्किंग के समीप इन्दिरा प्रियदर्शिनी पार्क का सौन्दर्यीकरण	2.30	1.79
5	पर्यटन अतिथिगृह (गंगा रिजोर्ट) के समीप पार्क का विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण	5.62	5.02
6	नगर पंचायत मुनिकीरेती में कामर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण	88.35	68.20
7	नगर पंचायत मुनिकीरेती में कार्यालय भवन का निर्माण	23.74	22.15
8	नगर पंचायत मुनिकीरेती में सामुदायिक भवन का निर्माण	86.87	81.45
9	वन भूमि पर पार्किंग निर्माण	320.73	270.80
	कुल योग-	538.35	458.64

(रूपये चार करोड अट्ठावन लाख चौसठ हजार मात्र)